रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1143] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 27, 2014/ ज्येष्ठ 6, 1936
No. 1143] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 27, 2014/JYAISTHA 6, 1936

IndiaCode

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2014

का.आ. 1378(अ).— केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (झ) और खण्ड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से निर्देश देती है कि प्रत्येक नाम निर्दिष्ट उपभोक्ता,—

(क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा संपरीक्षा करने के लिए रीति और समय अंतराल) विनियम, 2010 के अनुसार किसी प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक द्वारा ऊर्जा संपरीक्षा कराएगा; और

(ख) संबंधित अभिहित अभिकरण को उपभोग की गई ऊर्जा की जानकारी के ब्यौरे और प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक की सिफारिश पर की गई कार्रवाईयों के ब्यौरे ऊर्जा संरक्षण (प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक की सिफारिश पर खपत की गई ऊर्जा और की गई कार्रवाई के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप और रीति तथा समय) नियम, 2008 के अनुसार जमा करेगा।

[फा. सं. 10/1/2013—ई सी]

सतीश कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2014

S.O. 1378(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (i) and (k) of Section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency hereby direct, that every designated consumer shall,—

(a) get energy audit conducted by an accredited energy auditor, in accordance with the Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals of Time for Conduct of Energy Audit) Regulations, 2010; and

(b) furnish to the concerned designated agency, details of information on energy consumed and details of the action taken on the recommendations of accredited energy auditor, in accordance with the Energy Conservation (Form and Manner and Time for Furnishing Information With Regard to Energy Consumed and Action Taken on Recommendations of Accredited Energy Auditor) Rules, 2008.

IndiaCode

[F. No. 10/1/2013-EC]

SATISH KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054